

मानक शर्तें

उ० प्र० शासन / वन विभाग द्वारा मानक शर्त तथा उसके मान्य होने का प्रमाण—पत्र आदेसनादेश संख्या:-
7314 / 14.3.980 / 82, दिनांक:- 31.12.1984

1. भूमि स्थानान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्व की भौति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बना रहेगा।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था विशेष को रक्षान्तरित नहीं करें।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी भूमि न्यनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा टेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी के देखरेख में करायेगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा सम्बन्ध प्रस्तावित न किया जाये केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी। — लागू नहीं है।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। — लागू नहीं है।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य परियोजना हेतु करने अथवा विभाग/संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस को जायेगी। वन भूमि तथा संयुक्त स्थन निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा इस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रसतावों पर अलाइनमेन्ट तथा होते समय स्थानीय स्थन पर वन विभाग को परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन लो०नि०वि० द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय क्षेत्र) पौँडी को सम्बोधित पत्र सं० ६९८ सी० दि० १०.०२.१९८२ में लिखित आदेशों का पालन लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र भी दिया जायेगा। कि अपना मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेरबदल कराना आदि विभाग के स्वरूप प्रतिकर होगा और नहीं सड़क का निर्माण भी आवश्यक है। — लागू नहीं है।
12. वन भूमि का मूलय सम्बोधित जिलाधिकारी प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण—पत्र के आधार पर आंकड़े वारांवांकी वन प्रमाण किया जायेगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े व वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन विभाग द्वारा अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से जो वन विभाग उचित समझे यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
राम सनेहीघाट

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रैंजर हैदरगढ़

पंकज थर (प्रदत्तकर)
रिलायन्स जियो इन्डोनेशिया लिमिटेड
लैनपर्सन

रक्षण न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो जो विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा। — लागू नहीं है।

14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों का प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान को करना होगा। 1000 मी० से व 20 डिग्री से अधिक ढाल वन खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षोंके पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा। — लागू नहीं है।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जाने में तथा सम्बद्ध पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्मों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों को कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है। — लागू नहीं है।
16. यदि नहर आदि का निर्माण में भूसंरण की सम्भावना होती है और नहर की नहर की दोनों पटरियों को पवका कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा। — लागू नहीं है।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वन भूमि का यास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तों का पूरी तरह पालन कर दिया जाये अथवा सुमित्रित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रभाण पत्र

उपरोक्त शर्ते हमें मान्य है।

कृते रिलायंस जियोइन्फोकाम लिं



अधिकृत-हस्ताक्षरकर्ता

पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लघात

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामसनेहीधाट

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज हैदरगढ़

उप प्रभाणादि वनाधिकारी
राम सनेहीधाट
बारावंकी वन प्रभाग

प्रभागीय निदेशक
साठवाठवां प्रभाग
भूखाराबंकी